



2026:AHC:23384

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 199, वर्ष 2026

राम विलासयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रत्यर्थागण

याची हेतु अधिवक्ता:- अवध नारायण राय, राजेश कुमार सिंह

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध नारायण राय और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने वर्तमान याचिका को 13.01.2026 को स्वीकार किया था और विद्वान स्थायी अधिवक्ता से निर्देश प्राप्त करने की अपेक्षा की थी। पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात के हस्ताक्षर युक्त दिनांक 26.01.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया गया है।
3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने यह कथन दिया है कि वे निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं और मामले में बहस करने की स्थिति में हैं। वे कोई प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और उन्होंने आगे यह निवेदन किया है कि याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कर दिया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. पक्षों की सहमति से, याचिका का निस्तारण शुरुआती चरण पर ही किया जा रहा है।

5. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति पुलिस आरक्षी के रूप में हुई थी और उसने मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की मांग की थी, तथापि मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु उसके दावे पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 224, 223 के अंतर्गत एक आपराधिक मामला, वाद अपराध संख्या 86/2016 लंबित था। चूंकि पदोन्नति हेतु याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया जा रहा था, इसलिए याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 12164/2025 राम विलास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य दायर की, जिसे दिनांक 23.08.2025 को निस्तारित करते हुए पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की अपेक्षा की गई। तत्पश्चात, 31.12.2025 को पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात ने याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि विवादित आदेश एक क्षण के लिए भी टिकने योग्य नहीं है, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता के विरुद्ध यद्यपि विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी और याचिकाकर्ता को 16.03.2016 को निलंबित कर दिया गया था, तथा 27.12.2016 को याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका याचिकाकर्ता ने 10.01.2017 को उत्तर प्रस्तुत किया था और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 01.03.2017 को 15 दिनों के वेतन के बराबर अर्धदंड लगाने का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने एक विभागीय अपील दायर की थी जिसे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 06.04.2017 को स्वीकार कर लिया गया था, अतः कानून की दृष्टि में यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही या दंड विद्यमान नहीं है। तर्क इस सीमा तक भी है कि यद्यपि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और याचिकाकर्ता वाद अपराध संख्या 86/2016 अंतर्गत धारा 223 और 224 भारतीय दंड संहिता में फंसा हुआ है, परंतु शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के आलोक में केवल एक आपराधिक मामले का लंबित होना याचिकाकर्ता को नियमित आधार या तदर्थ आधार पर पदोन्नति के लाभ से वंचित करने का आधार नहीं होगा।

6. तर्क यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और 224 के तहत आरोप इतने गंभीर और संगीन नहीं हैं कि पदोन्नति के अवसरों को अवरुद्ध कर दिया जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार, यदि याचिकाकर्ता को आरक्षी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु उपयुक्त पाया गया है, तो मुख्य आरक्षी के रूप में पदोन्नति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के उसके दावे को नकारने का कोई आधार नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया कि मामले के उपरोक्त पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है और कार्यवाही में विलंब करने का कोई आरोप न होने की स्थिति में, याचिकाकर्ता के तदर्थ आधार पर पदोन्नति के दावे पर विचार न करना न्यायोचित नहीं है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का प्रतिवाद करते हुए, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के पास पदोन्नति हेतु 'विचार किए जाने' का कानूनी अधिकार है, न कि पदोन्नति का कोई मौलिक अधिकार। उन्होंने तर्क दिया कि पदोन्नति उपयुक्तता, पात्रता और अन्य कारकों के अधीन होती है। श्री पी.के. श्रीवास्तव, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यह भी स्वीकार किया कि अधिकारियों ने शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है।

8. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

9. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में आरक्षी के पद पर तैनात है। वह मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति चाहता है। यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करके विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसका याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया था और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 15 दिनों के दंड स्वरूप अर्थदंड लगाने का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी और वह स्वीकार कर ली गई थी। यद्यपि याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और 224 के तहत एक आपराधिक मामला लंबित है, परंतु विवादित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि शासनादेश दिनांक 24.05.1997 पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया है। आदेश पारित करने वाले अधिकारी इस बात से प्रभावित हो गए कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक आपराधिक मामला लंबित है और उन्होंने शासनादेश दिनांक 24.05.1997 के अनुच्छेद-10 और 11 के आशय और प्रभाव पर विचार किए बिना दावे को नकार दिया। विवादित आदेश से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों को इतना गंभीर माना गया था कि उसकी पदोन्नति रोक दी जाए, और न ही इस तथ्य का

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उल्लेख है कि विभाग द्वारा कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद याचिकाकर्ता कार्यवाही को लंबा खींचने का उत्तरदायी था।

10. चूँकि मामले के उपरोक्त पहलुओं का अभाव है, अतः विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2025 निरस्त किया जाता है। मामले को संबंधित प्राधिकारी के पास विधि के अनुसार कड़ाई से नया आदेश पारित करने हेतु वापस भेजा जाता है।

11. आज यह आदेश पारित होने से याचिकाकर्ता को पदोन्नति का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह मामले के रिमांड के पश्चात पारित होने वाले आगामी आदेश के अधीन होगा।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका **निस्तारित** की जाती है।

3 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"